

# समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

## (आपदा प्रबंधन शाखा)

—: आदेश :—

(3) 1. विशेष सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 68 (स0 अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 21.10.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष-101 आनुग्रहिक राहत उप शीर्ष-0001 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड N-2245021010001 मद में कुल 5,90,34,000.00 (पाँच करोड़ नब्बे लाख चौतीस हजार) रूपया, प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचल अधिकारी को उनके पदनाम के सामने अंकित राशि उपावंटित की जाती है—(अनु0-1)

2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाये जिस मद में राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

3. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय। अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव FULLY VOUCHERED BILL के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2015 तक भेज दिया जाय।

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(वित्त) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया गया है।

6. उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC FORM-42A में ही दिनांक 31.12.2014 तक उपलब्ध कराया जाय, जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 285/आ0प्र0 दिनांक 05.12.2013 द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दे, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

हो  
(लोकेश कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

- ज्ञापांक 227/आ0प्र0 दिनांक 22.10.14
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/उप कोषागार पदाधिकारी बगहा/आई0टी0 मैनेजर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया/बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 68 (स0 अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 21.10.2014 के प्रसंग में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट) पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

# अनुलग्नक - 1

मांग सं० - 39

क्र०	संबंधित पदाधिकारी	2245-101-0001 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड N-2245021010001 विषय शीर्ष-3106		आवंटन का कुल योग
		पूर्व का आवंटन	वर्तमान का आवंटन	
1	अंचल अधिकारी, बैरिया	24,18,500.00	87,31,500.00	1,11,50,000.00
2	अंचल अधिकारी, योगापट्टी	47,53,000.00	1,71,47,000.00	2,19,00,000.00
3	अंचल अधिकारी, नौतन	0.00	85,46,000.00	85,46,000.00
4	अंचल अधिकारी, बगहा-1	16,55,500.00	59,44,500.00	76,00,000.00
5	अंचल अधिकारी, मधुबनी	8,82,000.00	31,84,000.00	40,66,000.00
6	अंचल अधिकारी, ठकराहां	24,46,500.00	88,25,500.00	1,12,72,000.00
7	अंचल अधिकारी, पिपरासी	18,44,500.00	66,55,500.00	85,00,000.00
	<b>कुल योग :-</b>	<b>1,40,00,000.00</b>	<b>5,90,34,000.00</b>	<b>7,30,34,000.00</b>

(लोकेश कुमार सिंह)  
जिल्हा पदाधिकारी  
पश्चिम चम्पारण, बैरिया।  
*[Signature]*